संख्या:32/2022/515/12-2-2022

प्रेषक,

डा0 देवेश चतुर्वेदी,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. मण्डलायुक्त, समस्त मण्डल, उत्तर प्रदेश।
2. जिलाधिकारी, समस्त जनपद, उत्तर प्रदेश।
3. मुख्य विकास अधिकारी, समस्त जनपद, उत्तर प्रदेश।
4. उप कृषि निदेशक, समस्त जनपद, उत्तर प्रदेश।

कृषि अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 24 अप्रैल, 2022

विषय: भारत सरकार द्वारा ''किसान भागीदारी, प्राथमिकता हमारी'' अभियान के अन्तर्गत प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (पी0एम0-किसान) के सभी लाभार्थी कृषकों को किसान क्रेडिट कार्ड (के0सी0सी0) उपलब्ध कराने, जनपद के कृषि विज्ञान के केन्द्रों पर किसान मेले आयोजित कराने एवं किसानों को फसल बीमा योजनाओं के सम्बन्ध में जागरूक करने हेतु फसल बीमा पाठशालाओं का आयोजन आदि के सम्बन्ध में।

महोदय,

भारत सरकार द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अन्तर्गत कृषकों को कृषि विभाग की महत्वपूर्ण योजनाओं के सम्बन्ध में जानकारी उपलब्ध कराने एवं योजनान्तर्गत सहभागिता बढ़ाने हेतु 24 अप्रैल, 2022 से 01 मई, 2022 तक ''किसान भागीदारी, प्राथमिकता हमारी'' नामक अभियान प्रारम्भ किया गया है।

2. ''किसान भागीदारी, प्राथमिकता हमारी'' अभियान के अन्तर्गत संयुक्त सचिव, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली के पत्र संख्या:1-4/2022-क्रेडिट-1 दिनांक 10 अप्रैल, 2022 द्वारा अवगत कराया है कि भारत सरकार द्वारा दिनांक 06.02.2020 को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, (पी0एम0-किसान) के सभी लाभार्थियों को किसान क्रेडिट कार्ड से संतृप्त करने का अभियान प्रारम्भ किया गया है, तथा किसान क्रेडिट कार्ड से किसानों को संतृप्त करने के अभियान को आत्म-निर्भर भारत का हिस्सा भी बनाया गया। यह भी निर्णय लिया गया है कि ''किसान भागीदारी, प्राथमिकता हमारी'' अभियान में बचे हुए कृषकों को के0सी0सी0 प्रदान करने हेतु दिनांक 24 अप्रैल, 2022 से 01 मई, 2022 तक (स्प्रिंट कैम्पेन) का आयोजन कराते हुए किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड (के0सी0सी0) उपलब्ध कराया जाए। इस सम्बन्ध में दिनांक 23 अप्रैल, 2022 को प्रदेश के समस्त जिलाधिकारियों, मुख्य विकास अधिकरियों, जनपदीय उप कृषि निदेशकों एवं प्रबंधक, जिला अग्रणी बैंक के साथ बैठक करते हुए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (पी0एम0-किसान) के सभी लाभार्थियों को किसान क्रेडिट कार्ड से संतृप्त करने के सम्बन्ध में निम्नानुसार कार्यवाही कराने का शासन द्वारा निर्णय लिया गया है:-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(i) उक्त अभियान के सफल क्रियान्वयन हेतु राज्य स्तर पर निदेशक, कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा, उत्तर प्रदेश नोडल अधिकारी होंगे एवं जनपद स्तर पर उप कृषि निदेशक नोडल अधिकारी होंगे। इस अभियान के अन्तर्गत आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, (पी0एम0-किसान) के सभी लाभार्थी कृषकों को किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराया जाएगा। इस कार्यक्रम में कृषि विभाग के तकनीकी सहायक, पंचायती राज विभाग के ग्राम पंचायत अधिकारी, राजस्व विभाग के लेखपाल, उद्यान विभाग एवं पशुपालन विभाग के प्राथमिक स्तर के कार्मिकों द्वारा प्रतिभाग किया जाएगा। कॉमन सर्विस सेन्टर (सी.एस.सी.) के प्रतिनिधि भी अभियान के अन्तर्गत आयोजित कार्यक्रम में उपलब्ध रहेंगे। कार्यक्रम में ही इच्छुक कृषक का आवेदन तैयार कराकर, सत्यापन आदि की कार्यवाही पूर्ण कराते हुए सभी आवेदन पत्र संबंधित बैंक को स्वीकृति हेतु उपलब्ध करा दिया जाएगा।

(ii) इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (पी.एम.-किसान) के अन्तर्गत कृषकों के बैंक खातो के e-KYC की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी तथा पी.एम. किसान के नये लाभार्थियों जिनका सत्यापन अभी अवशेष है, को पूर्ण किया जाएगा।

3. संयुक्त सचिव (प्रसार), कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली के पत्र संख्या: 27/1/2021/ए0ई0 दिनांक 18 अप्रैल, 2022 द्वारा अवगत कराया गया है कि किसान भागीदारी, प्राथमिकता हमारी अभियान के अन्तर्गत दिनांक 26 अप्रैल, 2022 को प्रदेश के समस्त जनपदों के कृषि विज्ञान केन्द्रों द्वारा केन्द्र परिसर में किसान मेले का आयोजन किया जाएगा।

इस सम्बन्ध में भारत सरकार की अपेक्षानुसार निम्नवत कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया है:-

(i) आयोजित मेले में किसानों को लाभ के लिए प्राकृतिक खेती, कृषि यंत्रीकरण, सर्वोत्तम कृषि पद्धतियों एवं उभरती हुई कृषि प्रौद्योकियों आदि पर आकर्षक प्रदर्शनी का आयोजन किया जाए।

(ii) कार्यक्रम में किसानों एवं वैज्ञानिकों के बैठने की पर्याप्त व्यवस्था एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों हेतु पंडाल एवं मंच आदि की व्यवस्था सुनिश्चित करायी जाए।

(iii) इस कार्यक्रम में भारत सरकार एवं प्रदेश सरकार द्वारा संचालित कराए जा रहे महत्वपूर्ण कार्यक्रमों एवं योजनाओं से संबंधित सूचनायें साझा की जायें।

(iv) इस कार्यक्रम में जनपद के प्रगतिशील एवं नवोन्मेषी किसानों का अभिनन्दन किया जाए।

(v) इस कार्यक्रम में कॉमन सर्विस सेन्टर (सी.एस.सी.) के प्रतिनिधि द्वारा उपस्थित होकर आवश्यक सेवायें उपलब्ध करायी जायें।

4. शासनादेश संख्या: 29/2022/1422348/12-2099/142/2021 दिनांक 20 अप्रैल, 2022 के माध्यम से संयुक्त सचिव/मुख्य कार्यकारी अधिकारी/कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली के पत्र संख्या: 12019/02/2016-क्रेडिट-2 दिनांक 13 अप्रैल, 2022 के क्रम में ''किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी'' अभियान के अन्तर्गत दिनांक 25.04.2022 से 01.05.2022 के बीच प्रदेश के जनपदों में बीमा कम्पनियों, कॉमन सर्विस सेन्टर एवं नोडल विभाग (कृषि विभाग) के माध्यम से फसल बीमा पाठशाला आयोजित कराने का निर्देश दिया गया है। उल्लेखनीय है कि इस कार्यक्रम के अन्तर्गत कॉमन सर्विस सेन्टर के तत्वाधान में राष्ट्रीय स्तर पर कृषि एवं किसान कल्याण

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा नई दिल्ली में दिनांक 27 अप्रैल, 2022 एक बृहद कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें देश के सभी प्रधानमंत्री फसल बीमा का संचालन करने वाले प्रदेशों के किसान एवं सभी हितधारक जुड़े रहेंगे।

5. प्रदेश स्तर पर इस कार्यक्रम में विशेष रूप से जनपद स्तर से सभी अधिकारियों यथा- कृषि विभाग, उद्यान विभाग, सहकारिता विभाग, आत्मा कार्मिक, सी.एस.सी. के अधिकारी, पैक्स, के.वी.के. एवं कृषक उत्पादक संगठनों, क्षेत्रीय प्रगतिशील कृषकों की सहभागिता भी सुनिश्चित करायी जाए। उक्त के अतिरिक्त भारत सरकार की अपेक्षानुसार दिनांक 27 अप्रैल, 2022 को आयोजित किए जा रहे विशेष कार्यक्रम में जनपद के मा0 सांसद, मा0 विधायकगण एवं अन्य क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों की प्रतिभागिता सुनिश्चित करायी जाए। कृषक हित में इस विशेष कार्यक्रम का व्यापक प्रचार-प्रसार कराया जाए। भारत सरकार स्तर पर कार्यक्रम का आयोजन 11.00-11.40 बजे के मध्य किया जाएगा एवं इसके पश्चात राज्य स्तर पर कार्यक्रम का आयोजन 11.40-1.00 बजे के मध्य किया जाएगा। बीमा कम्पनी एवं सी.एस.सी. के प्रतिनिधियों के द्वारा भारत सरकार एवं प्रदेश सरकार की मंशा के अनुरूप दिनांक 27 अप्रैल, 2022 को समस्त जनपदों में कार्यक्रम कराना सुनिश्चित किया जाएगा। प्रदेश स्तर पर कृषि भवन, लखनऊ में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम के मध्य उपस्थित महानुभावों द्वारा प्रदेश के चयनित 08 जनपदों यथा-गोरखपुर, देवरिया, वाराणसी, मेरठ, झांसी, महोबा, सहारनपुर तथा रामपुर में जनपद स्तर पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में प्रतिभाग करने वाले कृषकों से सीधा संवाद किया जाएगा। अन्य जनपदों में सी.एस.सी. के द्वारा कार्यक्रमों का संचालन कराया जाएगा। शासनादेश संख्या: 29/2022/1422348/12-2099/142/2021 दिनांक 20 अप्रैल, 2022 द्वारा प्रसारित अन्य निर्देश यथावत रहेंगे।

अत: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली के विषयगत तीनों पत्रों एवं तीनों कार्यक्रमों की एस.ओ.पी. इस पत्र के साथ संलग्न कर आपको इस आशय से प्रेषित है कि कृपया भारत सरकार एवं प्रदेश सरकार की अपेक्षानुसार कार्यक्रमों का प्रभावी आयोजन कराने हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें। आयोजित होने वाली कार्यक्रमों में राज्य सरकार द्वारा जारी कोविड के अद्यतन प्रोटोकाल का पालन सुनिश्चित किया जाय।

संलग्नक: यथोपरि।

भवदीय,

(डा0 देवेश चतुर्वेदी)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या:32/2022/515(1)/12-2-2022 तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. संयुक्त सचिव/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पी0एम0एफ0बी0वाई0, भारत सरकार, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

2. संयुक्त सचिव (प्रसार), कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली।
3. निजी सचिव, मा0 कृषि मंत्री जी, उत्तर प्रदेश।
4. निजी सचिव, मा0 कृषि राज्य मंत्री जी, उत्तर प्रदेश।
5. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, सहकारिता विभाग, उद्यान विभाग, पंचायती राज विभाग एवं राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
6. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश।
7. मण्डलायुक्त, समस्त मण्डल, उत्तर प्रदेश।
8. महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, कृषि अनुसंधान परिषद, लखनऊ।
9. कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश।
10. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश को-आपरेटिव बैंक लि0, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ।
11. निदेशक, कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा, उत्तर प्रदेश।
12. निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उत्तर प्रदेश।
13. अपर कृषि निदेशक (प्रसार), कृषि भवन, लखनऊ।
14. संयुक्त कृषि निदेशक, समस्त मण्डल, उत्तर प्रदेश।
15. सम्बन्धित बीमा कम्पनियों को प्राथमिकता पर अग्रेतर कार्यवाही हेतु।
16. प्रबन्धक, कामन सर्विस सेन्टर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को प्राथमिकता पर अग्रेतर कार्यवाही हेतु।

(डा0 देवेश चतुर्वेदी)
अपर मुख्य सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।